इस वर्ष नहीं होंगे सरकारी डाक्टरों के तबादले

लखनऊ : सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डाक्टरों के तबादले इस वर्ष नहीं होंगे। केवल अनुरोध और प्रशासनिक आधार पर ही चिकित्सकों का स्थानान्तरण किया जाएगा। यह जानकारी प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य प्रदीप शुक्ल ने रविवार को वीडियोक्रान्फ्रेन्सिंग के जरिए सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दी। श्री शुक्ल ने बताया कि इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री की सहमति ले ली गयी है। गौरतलब है कि बीते तीन वर्षों से एक जिले में दस वर्ष पूरा करने वाले चिकित्सकों का दो सौ किलोमीटर दूर तबादला किया गया था। (शेष पेज 2 पर)

इस वर्ष नहीं होंगे...

इस बार भी शासन ने सभी जिलों में दस वर्षों से अधिक समय से तैनात चिकित्सकों की सूची मांगी थी। निदेशालय द्वारा तैयार की गयी सूची में करीब आठ सौ चिकित्सकों का नाम शामिल था। अब ऐसे चिकित्सकों का तबादला नहीं किया जाएगा। योजना भवन में रविवार को वीडियोक्रान्फ्रेन्सिंग से बैठक के दौरान प्रमुख सचिव प्रदीप शुक्ल बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए ही इस वर्ष डाक्टरों को तबादले से मुक्त रखा गया है।

उन्होंने कहा कि तीन जून को अगली बैठक होगी। इससे पहले सभी सीएमओ और अस्पतालों के मुखिया अपनी जरूरतों की सूची पेश करेंगे। यह बैठक भी वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के जरिए ही होगी। श्री शुक्ल ने अस्पतालों में डाक्टरों से लेकर कर्मचारियों तक सभी रिक्त पद तत्काल भरने के निर्देश दिये। इसके लिए संविदा पर तैनाती होगी। सभी ब्लाकों में माह में एक बार चिकित्सा शिविर लगाये जाएगे। प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रदेश के 826 ब्लाकों में से आधे में पहली जून को कैम्प लगेगा। बाकी में 15 जनू को शिविर लगाया जाएगा। चिकित्सा शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, फिजीशियन, सर्जन समेत कई चिकित्सक मौजूद रहेंगे।

शिविरों के सफलता पूर्वक संचालन के लिए स्वास्थ्य महानिदेशक डा. आईएस श्रीवास्तव को को-आर्डिनेटर बनाया गया है। प्रमुख सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदेश में बीते वर्ष अप्रैल माह से लागू की जा चुकी है। अब इसके दायरे में सभी जिले आ गये हैं। इस योजना को लागू करने के लिए एक निजी कम्पनी को बीमा प्रदाता कम्पनी के रूप में चयनित किया गया है। बीमा कम्पनी द्वारा अस्पतालों को 'इम्पैनल' करने की कार्यवाही की जायेगी। यह कम्पनी रोगियों को एक स्मार्ट कार्ड भी देगी।

स्मार्ट कार्ड धारक रोगी को योजना का लाभ पाने के लिए चिन्हित अस्पताल में जाकर भर्ती होना अनिवार्य है। वाह्य रोगियों के इलाज को इसमें नहीं शामिल किया गया है। प्रमुख सचिव प्रदीप शुक्ल के साथ बैठक में सचिव स्वास्थ्य ललित वर्मा, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डा. आईएस श्रीवास्तव समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद थे।